

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	रिलायंस जियो इफोकाम लिमिटेड रायपुर		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जगदलपुर से भानपुरी तक लम्बाई लगभग 39.48 कि.मी. संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हैं. एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हैं. कुल रकबा 0.699 हे. वनभूमि /राजस्व वनभूमि में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)
	(क) आरक्षित वन	मेटावाड़ा, कुम्हड़ाकोट	1335,1334,1333, 1718	0.153
	(ख) संरक्षित वन	करन्दोला, सोनारपाल बेसरापाल	1071 पी 1086 पी 1428 पी	0.296
	(ग) राजस्व वनभूमि (छोटे /बड़े झाड़ के जंगल)	ग्राम भानपुरी तारागांव मांजला चपका बालेंगा बस्तर महुपालबराई परचनपाल मेटावाड़ा आसना	445, 443 417, 228, 413, 429, 432 503, 514, 513 235/1 698, 696 454/1 1, 34, 85 1 79, 7, 21, 23, 283 132	0.250

	योग	0.699
6	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति एवं प्रकार	क्षेत्र की साईट क्वालिटी III, IVa एवं IVb तथा घनत्व 0.4 से 0.7 तक है।
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	अपर्याप्त।
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।	आवश्यकता नहीं है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयानण बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो प्रतिवेदित करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या)	आवश्यक नहीं।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	हाँ। जगदलपुर से भानपुरी तक लंबाई लगभग 39.48 कि. मी. प्रस्तावित है। जिसमें से बस्तर परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1428 पी में दिनांक 30.03.2017 को रात्रि में अवैध रूप से लंबाई 380.00 मी. चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.50 मी. रकबा 0.030 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क्र. 4326/20 दिनांक 30.03.2017 पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा पुनः कक्ष क्रमांक 1428 पी में दिनांक 08.04.2017 को अवैध रूप लंबाई 230.00 मी. चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.40 मी. रकबा 0.018 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क्र. 4326/21 दिनांक 08.04.2017 पंजीबद्ध किया गया है तथा पी.ओ.आर. क्र. 4326/20 की मुआवजा महसूल की राशि रु. 31608/- एवं पी. ओ.आर. क्र. 4326/21 की मुआवजा महसूल की राशि रु. 40013/- मनी रसीद क्रमशः क्र. 14197/40 एवं क्र. 14197/41 दिनांक 22.06.2017 द्वारा कुल रु. 77621/- आवेदक राशि जमा कर राजीनामा किया गया है।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।

दिनांक :- 20/11/17

स्थान :- बस्तर


वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर